

FR No. 2784
Ho-2012

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक एवं शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- भूमि/एफ.7(ड)/() डीएलबी/11/ 7598

दिनांक: 21-9-12

31c(4eb.)

कार्यालय आदेश

विषय :- नगरीय निकायों में Dedicated Consultants के माध्यम से स्टेटग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा जारी करने संबंधी कार्य हेतु निर्धारित दरों में आंशिक संशोधन बाबत।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(228)नविवि/3/10 दिनांक 26.06.2012 में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार दर निर्धारित की जाती है।

आईटम नं.4: स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा जारी करने संबंधी कार्यों हेतु दर।

- स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे दिये जाने संबंधित कार्य (सर्वे एवं ले-आउट प्लान आवश्यकता होने पर ही किया जावेगा)
 - प्रति पत्रावली - रु. 400.00
(समस्त क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु)

अन्य समस्त आईटम हेतु दरें एवं अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी।

२३
निदेशक एवं शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.10(228)नविवि/3/10/ 7599 - 7648
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

दिनांक : 21-9-12

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. अध्यक्ष नगर विकास न्यास (समस्त)। कोटा/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/भीलवाड़ा /श्रीगंगानगर/भरतपुर/अलवर/जैसलमेर/माण्डटाबाबू/भिवाड़ी।
4. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि राज्य के समस्त निकायों को आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु उचित कार्यवाही करें।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), जयपुर।
8. निदेशक (आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक (प्रोजेक्ट्स), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर
12. कार्यकारी अधिकारी, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ.ए, जयपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर।
14. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)। कोटा/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/भीलवाड़ा /श्रीगंगानगर/भरतपुर/अलवर/जैसलमेर/माण्डटाबाबू/भिवाड़ी।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर।
17. मुख्य अभियन्ता, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
18. प्रभारी अधिकारी, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश एवं संलग्नक सूची को www.udhrajasthan.gov.in पर अपलोड करें।

23
निदेशक एवं शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग